



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251733
CG-DL-E-02022024-251733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]
No. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

ग्रिड कनेक्टेड पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2024-एनआरई.—ग्रिड कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों को दिनांक 21 अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1 खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/03/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 15.5 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

खंड 15.5: विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत में विलंब :

खंड 15.5 (ख) (ii) हटा दिया गया माना जाए।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER**RESOLUTION**

New Delhi, the 2nd February, 2024

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Solar Hybrid Projects.

No. 48-19/2/2024-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified vide Resolution No. 27/03/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 21st August, 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 21st August, 2023 :-

Clause 15.5 of the existing guidelines stand modified as follows :-

15.5. Delay in Commencement of Supply of Power:

Clause 15.5 (b) (ii) shall stand deleted.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)